अत्यावश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, सीतापुर।

संख्या- /निर्वाचन-68/2011 दिनांक 08 अक्टूबर,2012

1-समस्त उप जिलाधिकारी,अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (प्रथम), बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (द्वितीय)/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,जनपद-सीतापुर।

2-समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार-सीतापुर, खण्ड विकास अधिकारी-महोली, खैराबाद, हरगांव, लहरपुर, परसेन्डी, बिसवां, रेउसा, पहला, महमूदाबाद, सिधौली, कसमण्डा, मिश्रिख, मछरेहटा/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,जनपद-सीतापुर।

विषयः- <u>निर्वाचक नामावलियों में व्यवधान रहित पंजीकरण (Hassle Free enrolment) के सम्बन्ध में निर्देश।</u>

उपरोक्त विषय पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0 के पत्र स0-ए-177/सी0ई0ओ0-4 दिनांक 27-09-2012 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ लें, जिसके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 26-09-2012 की प्रति जो निर्वाचक नामावलियों में व्यवधान रहित पंजीकरण **(Hassle Free enrolment)** से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश हैं को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग ने अपने उक्त पत्र दिनांक 26-09-2012 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(ए) में सुगमता से मतदाताओं के पंजीकरण हेतु 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2012 तक जनपद में एक सचल वैन की व्यवस्था हेतु निर्देशित किया है। यह सचल वैन सुदूर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में छूटे हुए एवं नये अर्ह मतदाताओं का पंजीकरण कराने में प्रयोग किया जायेगा। इस हेतु आयोग द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया है कि उक्त सचल वैन का उपयोगः-

1-सुदूर जनजाति क्षेत्रों से आवेदन आन लाइन करवाने एवं भरे हुए आवेदन संग्रह करने में,
2-स्थानीय मेले एवं त्यौहारों के अवसर पर एकत्रित होने वाले नागरिकों से आवेदन पत्र भरवाने में,
3-विभिन्न भवनों, स्थलों यथा डाकघरों/बैंकों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों से ड्राप बाक्स में डाले गये आवेदनों को एकत्रित करने में,
4-रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोशिएशन्स से भरे हुए आवेदन पत्रों को संग्रह करने में,
5-अधिकृत बूथलेबिल एजेन्ट्स से बल्क में, जो दस से अधिक नहीं होगा, आवेदन पत्र प्राप्त करने में,

3- आयोग द्वारा अधिक से अधिक मतदाताओं के पंजीकरण के उद्देश्य से आनलाइन आवेदन हेतु मोबाइल वैन में सभी आवश्यक सुविधाएं यथा-कम्प्यूटर, स्कैनर,इण्टरनेट,कम्प्यूटर आपरेटर तथा अन्य तत्सम्बन्धी उपकरण पूरी तरह उपलब्ध हो, जिससे कोई भी अर्ह मतदाता अपना पंजीकरण उसी स्थल पर (On Spot) करा सके। अतः अधिकाधिक मतदाताओं के पंजीकरण हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

4- व्यवधान रहित पंजीकरण **(Hassle Free enrolment)** के अन्तर्गत मोबाइल वैन एवं इससे सम्बन्धित अन्य विविध व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0 द्वारा अलग से बजट भी आवंटित किया जा रहा है।

अतः आयोग के उक्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर समस्त सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

11/10/12

अपर जिलाधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
सीतापुर।

संख्या- 1934/निर्वाचन-68/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,सीतापुर को सूचनार्थ एवं निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल जनपद-सीतापुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

3-सहायक सूचना निदेशक,सीतापुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों का समस्त प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन करवाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
सीतापुर।